न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2022/447**
दायरा तिथि : 20.12.2022
आदेश तिथि : 20-05-26
प्रार्थी :–

भैराराम पुत्र ओटाजी जाति मेणा तहसील बाली जिला पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थितिः–

1. श्री अयूब अली..............................अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री भरत जे. राठौड.......................अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से
3. नायब तहसीलदार...........................पेरोकार सरकार की ओर से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 20-05-26

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 467 रकबा 0.3500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 468 रकबा 2.7900 हैक्टर एवं राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2818/434 रकबा 0.2200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक /राजस्व/2023/5001 दिनांक 22.02.2023 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत जांच रिपोर्अ पर वकील प्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश करने पर तहसीलदार बाली से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली ने पुनः जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/2326 दिनांक 30.07.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक द्वारा आवेदित रास्ता एवं प्रस्तावित खसरे व क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2818/434	0.22	बारानी दोयम	80X04=320 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	468	2.79	बारानी दोयम	130X04=520 वर्गमीटर	गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह खातेदार रहन बैंक ऑफ बदौडा

2. वैकल्पिक मार्ग प्रथम जिससे प्रभावित खसरे एवं क्षेत्रफल का विवरण, जो प्रार्थी के खसरा न. 466 से लगता है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	468	2.79	बारानी दोयम	232X04=928 वर्गमीटर	गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह खातेदार रहन बैंक ऑफ बदौडा
2	468/2680	0.41	बारानी दोयम	225X04=900 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/447
अनवान भैराराम बनाम गिरधारीसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. वैकल्पिक मार्ग द्वितीय जिससे प्रभावित खसरे एवं क्षेत्रफल का विवरण, जो प्रार्थी के खसरा न. 466 से लगता है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2816/433	0.2240	गै.मु. चट्टान	40X04=160 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	2818/434	0.2200	बारानी दोयम	75X04=300 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3	468	2.79	बारानी दोयम	130X04=520 वर्गमीटर	गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह खातेदार रहन बैंक ऑफ बदौडा

2. अप्रार्थी द्वारा आपत्ति में सुझाया गया रास्ता जिससे प्रभावित खसरा व क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	460	0.54	बारानी दोयम	144X04=576 वर्गमीटर	देवा पुत्र लाला, भूता पुत्र केसा खातेदारी
2	461	3.47	बारानी दोयम	290X04=1184 वर्गमीटर	सामलाती खातेदारी भूमि

3. उपरोक्त सभी से आवेदित रास्ता की लम्बाई 210 मीटर है, जो सबसे निकटतम है।
4. प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
5. प्रस्तावित व आवेदित रास्ते से प्रभावित खसरे एवं क्षेत्रफल निम्नानुसार है–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2818/434	0.22	बारानी दोयम	80X04=320 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	468	2.79	बारानी दोयम	130X04=520 वर्गमीटर	खातेदारी अप्रार्थी

6. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,20,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
7. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थी गिरधारीसिंह को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 2816/433, 2818/434 व 435 से सुगम रास्ता होना बताये जाने पर तहसीलदार बाली से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार, वैकल्पिक रास्ता एवं अप्रार्थी द्वारा सुझाये रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने निम्न नजीर पेश कीः–

2017 D.N.J. (RAJ.) REVENUE PAGE 1

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 467 रकबा 0.3500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता निकटतम रास्ता है। धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार निकटतम रास्ता दिये जाने के प्रावधान है। अतः प्रार्थी को ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 2818/434 एवं 468 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत होगा।

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/447
अमवान भैराराम बनाम गिरधारीसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 467 रकबा 0.3500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 468 रकबा 2.7900 हैक्टर एवं राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2818/434 रकबा 0.2200 हैक्टर में से **320+520=840 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 2,20,000/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2818/434	0.22	80X04=320 वर्गमीटर	22	7040X2=14080	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
468	2.79	130X04=520 वर्गमीटर	22	11440X2=22880	गिरधारीसिह पुत्र जयसिंह खातेदार रहन बैंक ऑफ बदौडा

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 36960/– (अक्षरे छत्तीस हजार नौ सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार,बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावें मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/ 812 – 816
दिनांक : 20.9.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, भाटून्द
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक भैराराम पुत्र ओटाजी जाति मेणा तहसील बाली जिला पाली को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 13/02/2023 01:41:14 PM

पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बीजापुर

भाटुन्द

ग्राम : भाटुन्द

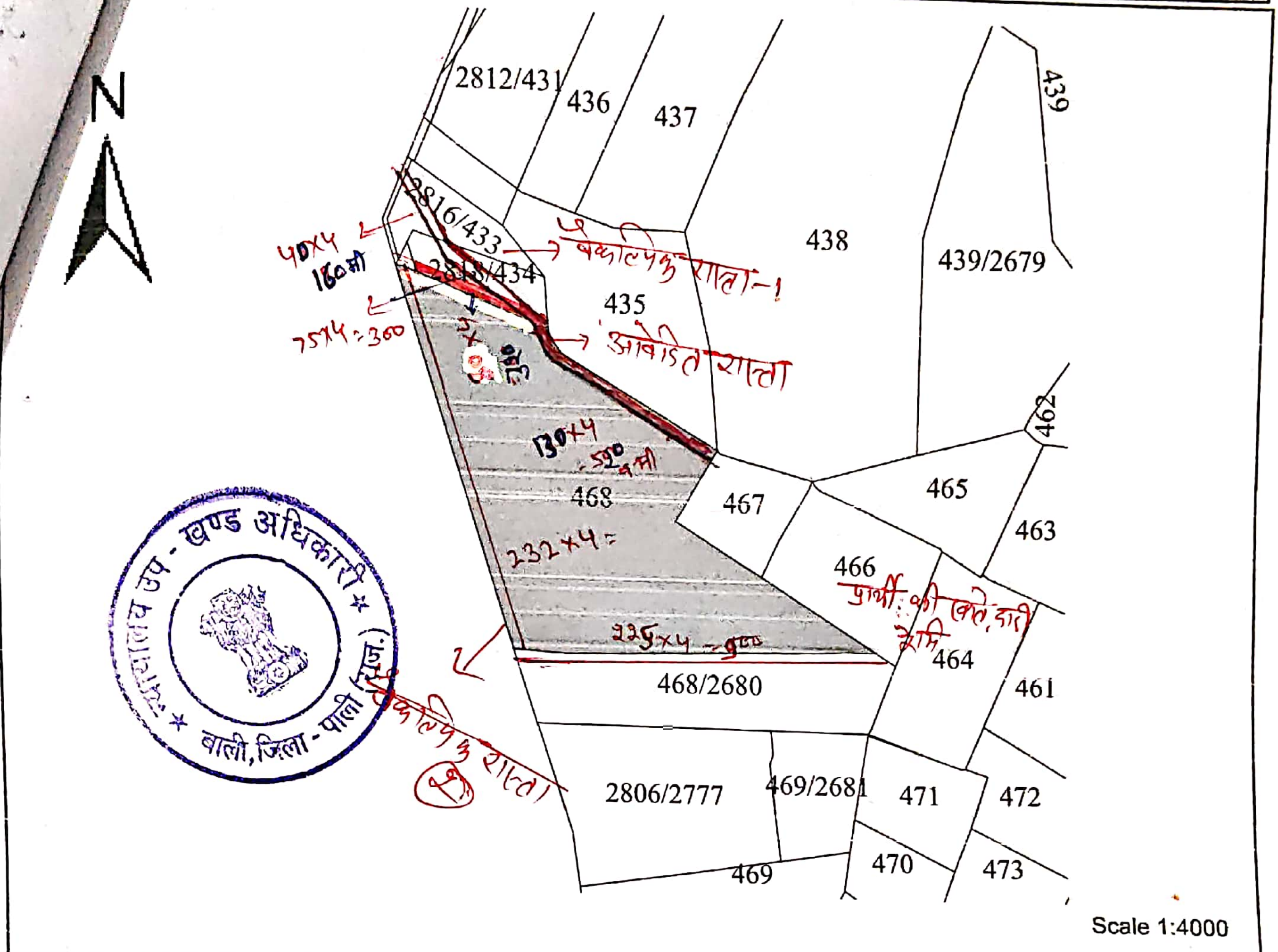

खसरा संख्या :468 क्षेत्रफल : 2.7900 Hectare खाता संख्या : 99पुराना खाता संख्या :96

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [2.7900, 13.95]

1.) गिरधारीसिंह पुत्र जयसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. सैणा खातेदार (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा फालना

तहसीलदार,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with OKEN Scanner